

Title : Need to conduct an enquiry into the procedure of admissions for SC/ST candidates into various Indian Institutes of Technology in the country .

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : स्भापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पूरे देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन दिल्ली, मुंबई, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, बनारस में स्थित संस्थानों के लिये करता है। इनमें अनुसूचित जाति के लिये 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत सीट आरक्षित हैं। लेकिन सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2004 में इन संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित स्थानों को अभी तक नहीं भरा गया है। वर्ष 2004 में सामान्य श्रेणी से 4521 सीटों पर अनुसूचित जाति के 340 छात्र तथा अनुसूचित जनजाति के 58 छात्र और हैंडीकैपड 6 छात्रों को प्रवेश दिया गया जब कि इन संस्थानों में कुल सीटों की संख्या 4935 है।

स्भापति महोदय : आप को ब्रीफ में कहना है।

श्री राजाराम पाल : स्भापति जी, जो औसतन सामान्य छात्रों के लिये 3674 सीट हैं, वहीं अनुसूचित जाति के लिये 741, अनुसूचित जनजाति के लिये 371 और हैंडीकैपड के लिये 149 सीटें आरक्षण के तहत निर्धारित हैं। इस तरह अनुसूचित जाति के 741 स्थान के बदले 340, अनुसूचित जनजाति के 371 स्थानों के बदले 58 सीटों पर छात्रों को प्रवेश दिया गया है। अनुसूचित जाति के 15 प्रतिशत आरक्षित स्थान में से 7 प्रतिशत जगहें, अनुसूचित जनजाति के लिये 7.5 प्रतिशत जगहों में से 1.3 प्रतिशत जगहों के आरक्षण का पालन किया गया है। यह दलितों के उत्पीड़न का मामला है और इन लोगों की प्रवेश प्रक्रिया में भेदभाव किया जा रहा है। अगर भारत सरकार का रवैया ऐसा रहा तो दलित समाज कभी भी उम्र नहीं उठ पायेगा। दलितों के लिये चुनाव में नारा देकर पार्टियां सत्ता हासिल करना चाहती हैं लेकिन दलितों को उनका हक नहीं देना चाहती है।

स्भापति महोदय : राजाराम जी, यहां लिखकर नहीं पढ़ा जाता, केवल ब्रीफ में अपनी बात कहनी होती है।

श्री राजाराम पाल : मैं अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से इस सम्पूर्ण मामले की जांच की मांग करता हूं। इसमें भारत सरकार हस्तक्षेप करे और पूरे देश में जो (आई.टी.आई.) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा नहीं भरा गया है और मैडिकल में जो भेदभाव बरता जा रहा है, उनका कोटा नहीं भरा जाता है, उसकी जांच करे। यही नहीं कक्षा एक से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूरे देश में शिक्षा के क्षेत्र में आज अनुसूचित जाति और जनजाति का कोटा नहीं भरा जा रहा है।

स्भापति महोदय : प्लीज कंक्लूड कीजिए। श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आप बोलिये।

श्री राजाराम पाल : अतः मैं आपके माध्यम से यू.पी.ए. की सरकार से मांग करता हूं कि 57 साल की आजादी के बाद भी यदि आज भी "नॉट सूटेबल, नॉट अ वेलेबल" की बात की जाती है तो मैं यह कहूंगा कि आरक्षण का जो लाभ अनुसूचित जाति और जनजातियों के लोगों को मिलना था, उसका संविधान के भीतर कतई पालन नहीं किया जा रहा है। अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का आरक्षण का कोटा पूरा किया जाए।(व्यवधान)

स्भापति महोदय : आप कंक्लूड कीजिए। राजाराम जी, अब आप रुक जाइये, इसके बाद आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जायेगी। आप रिपीट कर रहे हैं। शैलेन्द्र जी, आप शुरू कीजिए।

...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There is a limit to it. This is not to be recorded.

(Interruptions)*

स्भापति महोदय : राजाराम जी, आपकी बात रिकार्ड पर आ गई है। इससे पहले कि मैं और माननीय सदस्यों को बुलाऊं मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जीरो ऑवर में मेटर पढ़ना नहीं है, बल्कि ब्रीफ में कुछ शब्दों में अपनी बात कहनी है।

श्री राजाराम पाल : यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।(व्यवधान)

स्भापति महोदय : ठीक है।